

GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

No.2009/TG.I/24/P

New Delhi, dated 21.12.2010

The General Manager,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 63 of 2010)

**Sub:- Amendment of constitution of Railway Users'
Consultative Committee.**

.....

Please refer to this office letter No.2003/TG.I/24/P dt.18.3.2003 (Commercial Circular No.5 of 2003) wherein instructions were issued that in the composition of DRUCC, representation should be given to one of the Handicapped Associations.

2. It has been further decided that on ZRUCC also representation will be given to one of the Handicapped Associations. The nomination of the Handicapped Association will be done by General Manager on the lines of giving representation to Consumer Protection Organisations, Passenger Associations, Chambers of Commerce and Industry etc. on rotational basis.



(V.K. Sharma)
Director, Traffic Commercial(G)-II
Railway Board.

कृपया जारी करें
21/12/10

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2009/टीजी-1/24/पी

नई दिल्ली, दिनांक: 31.12.2010

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2010 का वाणिज्य परिपत्र सं. 63)

विषय: रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति के कंस्टीट्यूशन में संशोधन।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 18.03.2003 के पत्र सं. 2003/टीजी-1/24/पी (2003 का वाणिज्य परिपत्र सं. 5) का अवलोकन करें जिसमें ये अनुदेश जारी किए गए थे कि मंडल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति की संरचना में एक विकलांग एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

2. यह भी निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्श समिति में भी एक विकलांग एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व दिया जाए। विकलांग एसोसिएशन का नामांकन महाप्रबंधक द्वारा रोटेशनल के आधार पर उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण संगठनों, यात्री एसोसिएशनों, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा उद्योग आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

श्री. व. शर्मा

(वी.के. शर्मा)

निदेशक, याता.वाणि. (सा.)II
रेलवे बोर्ड।

